

कार्यालय : निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कमांक :- शिविरा-माध्य / बजट / बी-3 / 25212 / 2022-23 / 78

दिनांक : 10/08/2022

संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक,

विषय : विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति विभागीय व विशेष समुह योजना हेतु वर्ष 2021-22 का बजट व्यय करने हेतु अधिकृत करने के संबंध में वर्ष 2022-23।

प्रसंग : उपशासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र कमांक प.19(5) शिक्षा-6/2010 पार्ट-5 दिनांक 25.04.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक पत्र के कम में सत्र 2021-22 में संलग्न सूची के अनुसार विद्यालयों को शासन से प्राप्त ऑफलाईन अवधि में अध्ययन करवाई गई अवधि के भुगतान की स्वीकृति के क्रम में शिक्षण शुल्क, छात्रावास शुल्क मय भोजन, पुस्तकें, पौशाक एवं स्टेशनरी मद का भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति विभागीय (SC/ST DEPT.) व विशेष समुह योजना (MBC) हेतु नीचे लिखे जिला शिक्षा अधिकारियों को वर्ष 2021-22 के दावों हेतु नीचे वर्णित लेखामदों के अनुसार उनके सामने अंकितानुसार बजट की सीमा में व्यय करने हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये अधिकृत किया जाता है।

क्र. सं.	ऑफिस आई.डी.	जिला शिक्षा अधिकारी	अनुसूचित जाति विभागीय 2202-02-107-05-02-57 राज्यनिधि		अनुसूचित जनजाति विभागीय 2202-02-107-06-02-57 राज्यनिधि		विशेष समुह योजना 2225-03-196-06-07-12 राज्यनिधि	
			विद्यार्थी संख्या	बजट राशि	विद्यार्थी संख्या	बजट राशि	विद्यार्थी संख्या	बजट राशि
1	6452	Alwar	112	4124500	87	3244500	202	7502500
2	7236	Bharatpur	249	8308000	337	11255000	813	29402000
3	4492	Churu	0	0	0	0	5	182500
4	8914	Dausa	5	164500	48	1621500	15	529500
5	7576	Dholpur	96	3085500	262	8424500	739	24462500
6	3282	Hanumangarh	5	173500	0	0	0	0
7	10196	Jaipur	10	342500	13	452000	29	1018000
8	14459	Jalore	17	575500	2	68500	2	75500
9	22087	Jhalawar	4	132500	79	2708000	6	201000
10	5349	Jhunjhunu	487	16386000	180	6022500	1154	40779000
11	13122	Jodhpur	15	489000	2	68500	2	73000
12	21597	Kota	26	845500	221	7148500	41	1429000
13	12261	NAGAU	49	1464500	2	68500	31	1086500
14	22191	Pratapgarh	8	293000	0	0	1	39000
15	8468	Sawai Madhopur	9	336000	49	1768500	16	589000
16	11216	SIKAR	105	3509000	104	3458500	257	8876000
17	14800	SIROHI	9	252000	0	0	2	55000
18	2735	GANGANAGAR	11	401500	0	0	0	0
19	16781	TONK	13	434000	44	1376500	39	1302000
20	20688	UDAIPUR	5	164500	7	201500	3	100500
GRAND TOTAL :-			1235	41481500	1437	47887000	3357	117702500
(रुपये शब्दों में)-								
2202-02-107-05-02-57 राज्यनिधि			चार करोड़ चौदह लाख इक्यासी हजार पांच सौ मात्र।					
2202-02-107-06-02-57 राज्यनिधि			चार करोड़ अठहतर लाख सत्तासी हजार मात्र।					
2225-03-196-06-07-12 राज्यनिधि			ग्यारह करोड़ सततर लाख दो हजार पांच सौ मात्र।					

वर्ष 2021-22 में कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालय सम्पूर्ण सत्र संचालित नहीं होने के कारण ऑफलाइन अवधि में अध्ययन करवाये गये अवधि का भुगतान निम्न सारणी अनुसार किया गया है-

सारणी-1

क्र. सं.	विद्यालय का प्रकार	कक्षा	ऑफ लाईन अध्ययन की अवधि (माह में)	शिक्षण शुल्क (3000/- प्रति विद्यार्थी प्रति माह)	हॉस्टल शुल्क (1500/- प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह)	एकमुश्त प्रदान की गई राशि प्रति विद्यार्थी			कुल योग
						पोशाक	पुस्तक	स्टेशनरी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ग्रामीण	6	6 माह	18000	9000	2000	2000	1000	32000
2	ग्रामीण	7 व 8	7 माह	21000	10500	2000	2000	1000	36500
3	ग्रामीण	9 से 12	8 माह	24000	12000	2000	2000	1000	39000
4	शहरी	6	5 माह	15000	7500	2000	2000	1000	27500
5	शहरी	7 व 8	6 माह	18000	9000	2000	2000	1000	32000
6	शहरी	9 से 12	7 माह	21000	10500	2000	2000	1000	36500

इस बजट राशि का उपयोग निम्न निर्देशानुसार किया जावे :-

1. राशि का आहरण संबंधित बजट मद के अन्तर्गत अधिकृत की गई राशि की सीमा में ही किया जावे।
2. राज्य सरकार के निर्देशानुसार कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों को केवल ऑफलाइन अध्ययन की अवधि का भुगतान उपर्युक्त सारणी अनुसार किया जाना है।
3. यदि किसी जिले में कोविड-19 महामारी के दौरान सारणी 1 के कॉलम संख्या 4 की अवधि के अलावा यदि कोई विद्यालय द्वारा ऑफ लाईन अध्ययन नहीं करवाया है तो उसकी अवधि की जाँच उपरान्त भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।
4. उक्त राशि की स्वीकृति राज्य सरकार एवं वित्त विभाग से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार स्वीकृत की गई है। विद्यालयों को स्वीकृति राशि जारी करने से पूर्व ऑफलाइन अवधि के प्रस्ताव, उपयोगिता प्रमाण प्राप्त करते हुए एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति का प्रमाणीकरण करते हुए भुगतान किया जावे।
5. भुगतान स्वीकृति से पूर्व यह भी सुनिश्चित करें कि किताबें, पोशाक एवं स्टेशनरी का वास्तविक व्यय एवं इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत राशि में से जो भी कम हो वहीं राशि का भुगतान किया जावे।
6. भुगतान स्वीकृत करने से पूर्व योजना में अध्ययनरत विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ-साथ छात्रावास सुविधा एवं अन्य सुविधाएँ जाँच उपरान्त भुगतान किया जाना सुनिश्चित करें।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा-माध्य/बजट/बी-3/25212/2022-23 / 78

दिनांक : 10/08/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा विभाग,.....
3. सिस्टम एनालिस्ट कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर जारी करने हेतु।
4. अनुभाग अधिकारी, (योजना प्रकोष्ठ), कार्यालय हाजा।
5. रक्षित पत्रावली।

लेखाधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर